न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुन्तला चौधरी R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
नरपतसिंह पुत्र श्री किशनसिंहजी जाति राजपूत निवासी अरठवाड़ा तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 08/2024

–:आदेश:– **दिनांक 08.05.2024**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा अरठवाड़ा पटवार हल्का अरठवाड़ा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उथमण तहसील शिवगंज की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 नया खाता संख्या 821 के खसरा नंम्बर 451, 452 कुल रकबा 10.5623 हैक्टयर भूमि आई हुई है जो कि राजस्व रिकॉर्ड के 1/8 हिस्से पर काबिज काश्त है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में प्रार्थी का नाम नपसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर–सरकारी सभी दस्तावेजों जैसे–आधार कार्ड वगैरह में प्रार्थी का नाम नरपतसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत है, जो कि सही एवं सत्य है एवं उक्त दोनों नाम का व्यक्ति प्रार्थी एकमात्र स्वयं है। अतः प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज को नोटिस तामिल होने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया जाने से उनका जवाब दिनांक 08.05.2024 को बंद किया जाकर पत्रावली पर बहस में ली गई जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इसी दिन अन्य साक्ष्य दस्तावेज पेश कर बहस की गई, जिसे सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रार्थी नरपतसिंह के ग्राम अरठवाड़ा तहसील शिवगंज के खाता सं0 278 के खसरा नं0 374 में भी प्रार्थी का नाम नरपतसिंह पुत्र किशनसिंह दर्ज है साथ ही प्रार्थी के बिजली बिल, आधारकार्ड, बैंक डायरी में भी प्रार्थी का नाम नरपतसिंह ही दर्ज है। जिसे दुरस्त करने का पुनः निवेदन किया गया।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः मौजा अरठवाड़ा पटवार हल्का अरठवाड़ा तहसील शिवगंज जिला सिरोही की राजस्व रेकर्ड अनुसार खाता सं0 821 खसरा नम्बर 451, 452 कुल रकबा 10.5623 हैक्टयर भूमि में दर्ज सहखातेदार नपसिंह पुत्र किशनसिंह के स्थान पर **नरपतसिंह पुत्र किशनसिंह** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (शकुन्तला चौधरी)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.05.20 16:03:47 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांकः–कोर्ट/2024/ 261 दिनांक 08–05–2024

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (सिरोही)